रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 1998/श्रावण 5, 1920
No. 460] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 1998/SRAVANA 5, 1920

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 जुलाई, 1998

का. आ. 630 (अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का. आ. 746 (अ), तारीख 16 अक्तूबर, 1997 द्वारा एक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 के संबंध में जनता से आक्षेप मांगे गए थे और प्राप्त हुए सभी आक्षेपों पर सम्यक् रूप से विचार किया गया था; अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा -6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंध और हस्तन के लिए नियम अधिसूचित करती है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे, जो किसी भी रूप में जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन व हस्तन करते हैं।

3. परिभाषाएं : जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में,-

(1) ''अधिनियम'' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 28) अभिप्रेत है।

(2) ''पशुग्रह'' से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां अनुसंधान या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए पशुओं का पालन-पोषण किया जाता है/रखा जाता है।

(3) ''प्राधिकरण'' से इन नियमों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन और/या किसी अन्य रूप में हस्तन के लिए विहित प्राधिकरण द्वारा दी गई अनुज्ञा अभिप्रेत है।

(4) ''प्राधिकृत व्यक्ति'' से इन नियमों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग दर्शन सिद्धान्तों के अनुसार जीव-चिकित्सा अपशिष्ट के जनन, संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन और/या हस्तन के लिए विहित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिभोगी या प्रचालक अभिप्रेत है।

(5) ''जीव चिकित्सा अपशिष्ट'' से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिसका जनन मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे संबंधित किसी अनुसंधान क्रियाकलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है और अनुसूची-1 में वर्णित प्रवर्ग-I आते हैं।

(6) ''जैविक'' से अभिप्रेत है, जीवों या सूक्ष्म जीवों का उपापचय और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्पादों से बनाई गई विनिर्मितियां, जो मानवों या पशुओं के निदान, प्रतिरक्षीकरण या उपचार में या उनसे संबंधित अनुसंधान क्रिया-कलापों में उपयोग के लिए आशयित है।

(7) ''जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा'' से कोई ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जिसमें जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार, व्ययन या ऐसे उपचार या व्ययन से आनुसंगिक प्रक्रियाएं की जाती हैं।

(8) जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन करने वाली किसी संस्था,जिसके अंतर्गत कोई अस्पताल, परिचर्याग्रह, क्लीनिक, डिस्पैन्सरी, पशु चिकित्सा संस्थान, पशुग्रह, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला, रक्त बैंक जिसका कोई भी नाम हो, के संबंध में ''अधिभोगी'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका उक्त संस्था या उसके परिसरों पर नियंत्रण है।

(9) ''जीव चिकित्सा अपशिष्ट सुविधा का प्रचालन'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो जीव चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भंडारण, परिवहन, उपचार, व्ययन या हस्तन के किसी अन्य रूप की सुविधा का स्वामी है या उसका प्रचालन करता है।

(10) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अभिप्रेत है।

4. अधिभोगी के कर्तव्य : जीव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन करने वाले किसी संस्थान, जिसके अंतर्गत कोई अस्पताल, परिचर्याग्रह, क्लीनिक, डिस्पैन्सरी, पशु चिकित्सा संस्थान, पशुग्रह, पैथोलोजिकल प्रयोगशाला, रक्त बैंक, चाहे वे किसी नाम से जाने जाते हों, आते हैं, के प्रत्येक अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएं की ऐसे अपशिष्ट का हस्तन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव न डाले।

5. उपचार और व्ययन : (1) जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार और व्ययन अनुसूची I के अनुसार और अनुसूची में V विहित मानकों की अनुपालना में किया जाएगा।

(2) प्रत्येक अधिभोगी, जहां अपेक्षित हो, अनुसूची 6 में समय-सूची के अनुसार, अपशिष्ट के उपचार के लिए अपेक्षित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं जैसे इनसिनरेटर्स, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव प्रणाली की स्थापना करेगा या किसी अन्य अपशिष्ट उपचार सुविधा पर, अपशिष्ट के अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करेगा।

6. पृथक्करण, पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण : (1) जीव चिकित्सा अपशिष्ट को किसी अन्य अपशिष्ट के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

(2) जीव चिकित्सा अपशिष्ट को, उसके भंडारण, परिवहन, उपचार और व्ययन से पहले अनुसूची 2 के अनुसार जनन बिंदु पर आधानों/बैगों में पृथक किया जाएगा। आधानों पर अनुसूची 3 के अनुसार लेबल लगाया जाएगा।

(3) यदि आधान का परिवहन, उन परिसरों से जहां जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का जनन होता है, परिसरों से बाहर किसी अपशिष्ट उपचार सुविधा को किया जाता है तो आधानों पर अनुसूची 3 में विहित लेबल के साथ अनुसूची 4 में विहित जानकारी भी दर्शित होगी।

(4) मोटर यान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुपचारित जीव-चिकित्सा अपशिष्ट का परिवहन केवल ऐसे यान में किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाए।

(5) कोई अनुपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट 48 घंटे की अवधि से परे भंडारित नहीं रखा जाएगा-

परन्तु यह कि यदि किसी कारण से ऐसी अवधि से परे अपशिष्ट का भंडारण आवश्यक हो जाता है तो प्राधिकृत व्यक्ति को विहित प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना चाहिए कि अपशिष्ट मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को विपरीत रूप से प्रभावित न करें।

7. विहित प्राधिकारी : (1) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, ऐसे सदस्यों के साथ विहित प्राधिकरण स्थापित करेगी जो प्राधिकार मंजूर करने के लिए इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं। यदि विहित प्राधिकरण में एक से अधिक सदस्य हैं, तो प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष अभिहित किया जाएगा।

(2) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए विहित प्राधिकरण इन नियमों के प्रस्तुत होने के एक माह के भीतर नियुक्त किए जाएंगे।

(3) विहित प्राधिकरण, अपनी-अपनी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन कृत्य करेंगे।

(4) विहित प्राधिकरण, प्ररूप 1 के प्राप्त होने पर ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास इन नियमों के अनुसार जीव चिकित्सा अपशिष्ट की आवश्यक क्षमता है तो, यथास्थिति, प्राधिकरण को मंजूर या नवीकृत करेगा।

(5) प्राधिकार तीन वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जारी करने की तारीख से एक वर्ष की आरंभिक परीक्षण अवधि भी है। इसके पश्चात् एक आवेदन नवीकरण के लिए अधिभोगी /प्रचालक द्वारा किया जाएगा। ऐसे सभी पश्चात्वर्ती प्राधिकार तीन वर्ष की अवधि के लिए होंगे। अंतिम प्राधिकार परीक्षण अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा जिससे सुविधा की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए अधिभोगी/प्रचालक को समर्थ बनाया जा सके।

(6) विहित प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् और उन कारणों से लेखबद्ध किए जाएंगे, प्राधिकार देने से या नवीकृत करने से इंनकार कर सकेगा।

(7) प्राधिकार के लिए प्रत्येक आवेदन का विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर निपटारा किया जाएगा।

(ङ) विहित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार रद्द या निलंबित किया जा सकेगा यदि उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे अधिभोगी/प्रचालक अधिनियम या इन नियमों के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल हो जाता है :

8. **प्राधिकार :** (1) क्लीनिकों, डिस्पैन्सरियों, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं, रक्त बैंकों, के ऐसे अधिभोगियों को छोड़कर, जो प्रतिमाह 1000 (एक हजार) से कम मरीजों का उपचार कर रहे हैं/सेवाएं दे रहे हैं, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उत्सर्जन, संग्रहण, भंडारण एक जगह से अन्यत्र ले जाने, निपटान करने और अथवा किसी अन्य ढंग से उनका हथालन करने वाले संस्थान का प्रत्येक अधिभोगी प्राधिकरण की मंजूरी के लिए विहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष फार्म-1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) जीव चिकित्सा अपशिष्ट सुविधा का प्रत्येक प्रचालक, प्राधिकार मंजूर करने के लिए विहित प्राधिकारण को प्ररूप 1 में आवेदन करेगा।

(3) प्राधिकार मंजूर करने के लिए प्ररूप 1 में प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी जो राज्य या संघ क्षेत्र सरकार द्वारा विहित की जाए।

9. **सलाहकार समिति :** प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार एक सलाहकार समिति का गठन करेगी। समिति में चिकित्सा और स्वास्थ्य, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, पर्यावरणीय प्रबंध, नगरपालिका प्रशासन, के क्षेत्रों के विशेषज्ञ और कोई अन्य संबंधित विभाग या संगठन जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संगठन आते हैं, सम्मिलित होंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जब और जैसा अपेक्षित हो, समिति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और विहित प्राधिकरण को इन नियमों के कार्यान्वयन संबंधी मामलों के बारे में सलाह देगी।

10. **वार्षिक रिपोर्ट :** प्रत्येक अधिभोगी प्रचालक प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक प्ररूप 2 में विहित प्राधिकरण को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संस्था द्वारा हथाले गए जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के प्रकार और मात्रा के बारे में जानकारी होगी। उक्त प्राधिकरण द्वारा इस सूचना को संकलित रूप में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड को भेजा जाएगा।

11. **अभिलेखों का अनुरक्षण :** प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति, इन नियमों तथा इस संबंध में किसी भी दिशा-निर्देश के अनुसार, जैव-चिकित्सा अपशिष्टों के उत्सर्जन, संग्रहण, प्राप्तियां, संग्रहण, उन्हें एक जगह से अन्यत्र ले जाने, निपटान करने और अथवा किसी भी रूप में उनका हथालन के बारे में रिकार्ड रखेगा।

12. **दुर्घटना की रिपोर्ट करना :** जब कोई दुर्घटना, किसी ऐसी संस्था या सुविधा या किसी अन्य स्थल पर होती है जहां जीव चिकित्सा अपशिष्ट का हथालन होता है, या ऐसे अपशिष्टों के परिवहन के दौरान घटित होती तो प्राधिकृत व्यक्ति, दुर्घटना की रिपोर्ट प्ररूप-III में, विहित प्राधिकरण को तत्काल करेगा।

13. **अपील :** इन नियमों के अधीन विहित प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको ऐसा आदेश उसे संसूचित किया जाता है, अपील ऐसे प्राधिकारी को करेगा, जिसका गठन करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार ठीक समझे :

परन्तु प्राधिकारी, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त हेतुक से निवारित किया गया था।

अनुसूची 1

(नियम 5 देखें)

जीव चिकित्सा अपशिष्टों के प्रवर्ग

	अपशिष्ट वर्ग	उपचार और निपटान विकल्प
	1	2
प्रवर्ग सं. 1	मानव शारीरिक **अपशिष्ट** (मानव तंतु, अंग और शरीर के भाग)	भस्मन@/गहरा गाड़ना*
प्रवर्ग सं. 3	**पशु अपशिष्ट** (पशु तंतु, अंग, शरीर के भाग, पिंजर, रक्त स्रावी भाग, द्रव, रक्त और अनुसंधान में उपयोग किए गए प्रयोगकारी पशुओं के अपशिष्ट, पशु चिकित्सा अस्पतालों, महाविद्यालयों द्वारा जनित, पशु गृहों, अस्पतालों से निस्सरित अपशिष्ट)	भस्मन@/गहरा गाड़ना*

	1	2
प्रवर्ग सं. 3	**सूक्ष्मजीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट** (प्रयोगशला संवर्धनों के अपशिष्ट, सूक्ष्मजीवों के स्टॉक या नमूने, जीवित या क्षीणीकृत बैक्सीन, मानवीय और पशु सैल संवर्धन जो अनुसंधान में प्रयुक्त हुए हों और अनुसंधान और प्रौद्योगिक प्रयोगशालाओं के संक्रामक एजेन्ट, जैविकों के उत्पादन के अपशिष्ट, संवर्धनों के अन्तरण में प्रयुक्त आविष पात्र और युक्तियां)	स्थानीय आटोक्लेविंग/ सूक्ष्म तरंगण और भस्मन@
प्रवर्ग सं. 4	**अपशिष्ट तीक्षणग्र** (ऐसी सूइयां, सिरिंजे, स्केल्पेल, ब्लेड, शीशा आदि जिससे पंचर और कटाव हो सकता है। इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त दोनों प्रकार तीक्षणग्र सम्मिलित हैं	विसंक्रमण, शीर्णन** और भू-भराई/पुन: चक्रण रासायनिक उपचार@@/आटोक्लेविंग, सूक्ष्म तरंगण/मुड़ी तुड़ी)
प्रवर्ग सं. 5	**फैंकी गई और आविष औषध औषधियां** (अपशिष्ट जिसमें पुरानी, संदूषित और त्वजित औषधियां समादिष्ट है।)	प्राप्त की गई लैंडफिल्स में भस्मन@/विनाश और औषध व्ययन
प्रवर्ग सं. 6	**ठोस अपशिष्ट** (दूषित सूती कपड़ों, पट्टियों, प्लस्तर के सांचों, तन के धागों, बिस्तरों, रक्त से संदूषित अन्य सामग्री)	सूक्ष्मतरंगन भस्मन, आटोक्लेविंग/ भस्मन@, ऑटोक्लेविंग तरंगन
प्रवर्ग सं. 7	**ठोस अपशिष्ट** (तीक्ष्णाग्र अपशिष्टों से भिन्न व्ययनीय मदों से जनित अपशिष्ट जैसे ट्यूब नाल-शालाएं, आई वी. सैट इत्यादि)	रासायनिक उपचार@@/ऑटो-क्लेविंग/सूक्ष्म तरंगण और शीर्णन द्वारा विसंक्रमण**
प्रवर्ग सं. 8	**द्रव अपशिष्ट** (प्रयोगशाला और धुलाई, गृह व्यवस्था और विसंक्रमण क्रियाकलापों से जनित अपशिष्ट)	रासायनिक उपचार@@ और नलियों में प्रवाह से विसंक्रमण
प्रवर्ग सं. 9	**भस्मन राख** (किसी भी जीव चिकित्सा अपशिष्ट के भस्मन से राख)	नगरपालिका भू-भराई में व्ययन
प्रवर्ग सं. 10	**रासायनिक अपशिष्ट** (जैविकों के उत्पादन में प्रयुक्त रसायन, विसंक्रमण में प्रयुक्त रसायन जैसे कि कीटनाशी माल आदि)	द्रवों के लिए रासायनिक उपचार@@ और नाली में प्रवाह तथा ठोस के लिए भू-भराई

* गाड़ने का विकल्प केवल पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध होगा।

** मुड़ाई तुड़ाई/क्षीरणन ऐसा होना चाहिए कि अप्राधिकृत पुन: उपयोग को रोका जा सके।

@ भस्मन से पूर्व कोई रासायनिक उपचार नहीं किया जाएगा। क्लोरीन युक्त प्लास्टिक का भस्मन नहीं किया जाएगा।

@@ ऐसे रासायनिक उपचार जिनमें कम से कम एक प्रतिशत हाइपाक्लोराईड घोल या कोई अन्य समान रासायनिक रीजेंट हो। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रासायनिक उपचार से विसंक्रमण सुनिश्चित है।

अनुसूची—2

(नियम 6 देखिए)

जीव चिकित्सा अपशिष्टों के व्ययन के लिए रंग कोड और आधान

रंग कोड	आधान का प्रकार	अपशिष्ट	अनुसूची 1 के अनुसार उपचार विकल्प
पीला	प्लास्टिक बैग	प्रवर्ग 1, प्रवर्ग 2 और प्रवर्ग 3, प्रवर्ग 6	भस्मन गहरा गाड़कर
लाल	विसंक्रमिक आधान 1 प्लास्टिक बैग	प्रवर्ग 3, प्रवर्ग 6, प्रवर्ग 7	आटोकलेविंग 1 सूक्ष्म तंरगन 1 रासायनिक उपचार
नीला 1 पारभाषी	प्लास्टिक बैग न फटने वाला आधान,	प्रवर्ग 4, प्रवर्ग 7	आटोकलेविग 1 सूक्ष्म तंरगना रासायनिक उपचार और विनष्टीकरण शीर्णन
काला	प्लास्टिक बैग	प्रवर्ग 5 और प्रवर्ग 9 तथा प्रवर्ग 10 (ठोस)	सुरक्षित भू-भराई में व्ययन

टिप्पण :

1. अनुसूची 1 में यथापरिभाषित बहु-उपचार विकल्पों के साथ अपशिष्ट प्रवर्गों के रंग कोड का चयन, उपचार विकल्प चुने जाने पर निर्भर होगा जो कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं।
2. भस्मन की आवश्यकता वाले अपशिष्टों के संग्रहण के लिए बैग क्लोरीन युक्त प्लास्टिक से बने नहीं होंगे।
3. प्रवर्ग 8 और 10 (द्रव्य) के लिए आधानों बैगों आवश्यकता नहीं है।
4. प्रवर्ग 3, यदि स्थानिक रूप से विसंक्रमित है तो उसे अधानों बैगों में रखना आवश्यक नहीं है।

अनुसूची—3

(नियम 6 देखिए)

जीव चिकित्सा अपशिष्ट पात्रों/बैगों के लिए लेबल

जैविक खतरे का प्रतीक	कोशिका—आविष खतरा प्रतीक
	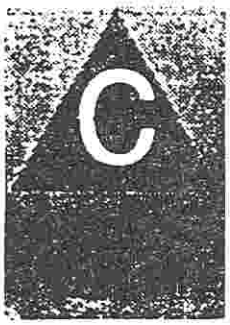
जैविक खतरा	कोशिका आविष

हस्तन में सावधानी

टिप्पण : लेबल पानी से न घुलने वाला और प्रमुखतया दृष्टि गोचर होगा।